प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति** (CCEA), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP), केंद्र प्रायोजित योजना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई के विभिन्न प्रकार

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA)** ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम **(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-Accelerated Irrigation Benefit Programme- PMKSY-AIBP)** के तहत **उत्तराखंड** की **जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना** को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है।

- इस परियोजना में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर **जमरानी गाँव के निकट एक बाँध का निर्माण कार्य** शामिल है। यह बाँध मौजूदा गोला नदी बैराज के लिये जल के स्रोत के रूप में कार्य करेगा और इससे **14 मेगावाट जलविद्युत** उत्पादित होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

- **परिचय:**
    - इस योजना को वर्ष 2015 में खेती के लिये पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा **सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने** के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
    - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र-राज्यों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 होगा।
        - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों के मामले में यह हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होगी।
    - वर्ष 2020 में **जल शक्ति मंत्रालय** ने PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग के लिये एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

[//](#)

- **उद्देश्य:**
  - क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेशों में एकरूपता प्राप्त करना (ज़िला स्तर पर और यदि आवश्यक हो तो, उप ज़िला स्तर पर जल उपयोग योजनाएँ तैयार करना)।
  - **खेतों में जल की पहुँच में वृद्धि और सिंचाई (हर खेत के लिये जल) सुनिश्चित करने** के प्रयास के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
  - आवश्यक प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से जल के सर्वोत्तम उपयोग के लिये **जल स्रोत, वितरण एवं इसके कुशल उपयोग का एकीकरण**।
  - जल की बर्बादी को कम करने और समयबद्ध तरीके तथा आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता बढ़ाने के लिये खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
  - परिशुद्ध कृषि जैसी जल-बचत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
  - **जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना तथा धारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को लागू** करना।
  - मृदा व जल संरक्षण, भू-जल पुनर्प्राप्ति, अपवाह पर नियंत्रण, आजीविका के विकल्प प्रदान करने और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के लिये **वाटरशेड दृष्टिकोण के उपयोग से वर्षा सिंचित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना**।
  - किसानों और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिये **जल संचयन, जल प्रबंधन एवं फसल संरेखण से संबंधित विस्तार गतिविधियों को**

बढ़ावा देना।
  - उप नगरीय कृषि के लिये उपचारित **नगरपालिका अपशिष्ट जल** के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता की जाँच करना।
- **घटक:**
  - **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme- AIBP):** इसे वर्ष 1996 में राज्यों की संसाधन क्षमताओं से बढ़कर **सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के उद्देश्य** से शुरू किया गया था।
    - वर्तमान में PMKSY-AIBP के तहत 53 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, जिनसे 25.14 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है।
  - **हर खेत को पानी (HKKP):** इसका उद्देश्य **लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोत का निर्माण** करना है। इसके अंतर्गत जल निकायों की देखभाल, पुनर्स्थापना तथा नवीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को बेहतर बनाना,**वर्षाजल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण** करना आदि शामिल हैं।
    - इसके उप घटक इस प्रकार हैं: कमांड एरिया डेवलपमेंट (CAD), सतही लघु सिंचाई (SMI), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (Repair, Renovation and Restoration- RRR), भू-जल विकास।
  - **वाटरशेड विकास:** इसमें मृदा और नमी संरक्षण की बेहतर तकनीकें शामिल हैं जैसे कि रिज़ि क्षेत्रों तथा जल निकासी लाइन 5 की मरम्मत करना, वर्षाजल एकत्रित करना, यथास्थान नमी का संरक्षण करना और वाटरशेड के आधार पर अन्य संबंधित कार्य करना। इसमें **जल अपवाह तंत्र का कुशल प्रबंधन भी शामिल** है।
- **निरूपण:** इसे निम्नलिखित योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था:
  - **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)-** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय)।
  - **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme- IWMP)-** भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
  - **ऑन-फार्म जल प्रबंधन** (OFWM)- कृषि और सहकारिता विभाग (DAC)।
- **कार्यान्वयन:**
  - राज्य सिंचाई योजना एवं ज़िला सिंचाई योजना के माध्यम से विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन।

कृषि से संबंधित अन्य पहलें:

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये मिशन जैविक मूल्य शृंखला विकास (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region- MOVCDNER)**
- **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन**
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)**
- **कृषि वानिकी पर उप-मिशन (Sub-mission on AgroForestry- SMAF)**
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**
- **एग्रीस्टैक**
- **डिजिटल कृषि मिशन**
- **एकीकृत किसान सेवा मंच (Unified Farmer Service Platform- UFSP)**
- **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan in Agriculture- NeGP-A)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-krishi-sinchayee-yojana-1